

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243686
SG-DL-E-17022023-243686असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2023/माघ 27, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 486
No. 54]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023/MAGHA 27, 1944	[N. C. T. D. No. 486

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (पुलिस- II) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 16 फरवरी 2023

फा. सं. 8/45/2009/गृह पुलिस - II /661-675.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74—यू टी एल (i) के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा श्री राजेश महाजन, अधिवक्ता को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने के लिए मामला एफ आई आर सं० 192/2002 पुलिस थाना कवि नगर, गाजियाबाद (नीतिश कटारा मामला) में उच्च न्यायालय में दायर समस्त याचिकाओं इत्यादि के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में रु० 55,000/—(पचपन हजार रुपये मात्र) प्रति उपस्थिति जमा 10 प्रतिशत क्लर्क पर नियुक्त करते हैं, अधिवक्ता सुश्री ज्योति बब्बर एवं श्री रंजीब कमल बोरा द्वारा रु० 11000/— (ग्यारह हजार रुपये मात्र) प्रत्येक प्रति सुनवाई सहायता की जाएगी।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजन भटनागर, उप-सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 16th February, 2023

F. No. 8/45/2009/HP-II/661-675.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Rajesh Mahajan, Advocate as Special Public Prosecutor for Rs. 55,000/- (Rupees Fifty Five Thousand Only) per appearance plus 10% Clerkage assisted by Advocates Ms. Jyoti Babbar & Mr. Ranjeeb Kamal Bora for Rs. 11,000/- (Rupees eleven thousand only) each per hearing to conduct of all petitions etc. filed in the High Court in the case FIR No. 192/2002, PS- Kavi Nagar, Ghaziabad (Nitish Katara Case) to represent the case before the Hon'ble High Court.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy.